राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
लिंक रोड नंबर 3, माधवराव सप्रे मार्ग ,भोपाल– 462003

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./सेल–1 /2022/3260 भोपाल, दिनांक:18/05/2022

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समसंख्यक आदेश कमांक क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि./सेल–1 /2021/ 1905 दिनांक 14/03/ 2022 द्वारा 23 संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार के जो कि सेम्स लिमिटेड के माध्यम से चयनित हुये थे, उनके नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये थे।

उक्त आदेश के पालन में समय सीमा में कार्यभार ग्रहण न करने वाले 02 जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार से हुये रिक्त पदों को भरने हेतु सेम्स लिमिटेड के माध्यम से संवर्गवार मेरिट सूची प्राप्त की गई जिसके आधार पर चयनित 02 जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार को प्रतीक्षा सूची के आधार पर मासिक मानदेय 40,000/– प्रतिमाह के आधार पर संविदा नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जाते है:–

Sno	App_ID	Name	Father Name	Gender	Category	Merit Rank	Selection Remarks	Allocated Institution CMHO OFFICE
1	130866	Raj Sharma	Suresh Sharma	Male	UR	27	Shortlisted-WL-UR-O-1	Neemuch
2	125079	Pooja Tiwari	Shani Mahadewa	Female	UR	31	Shortlisted-WL-UR-W-1	Panna

<u>संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेगी</u> :–

1. संविदा सेवा की शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल वर्ष–2021 (संशोधित) के अनुरूप होगी।
2. संविदा पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2022) के लिये अनुबंध होगा।
3. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर मानव संसाधन के मैनुअल के अनुरूप संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
4. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नही होगें।
5. संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार को उपस्थिति पश्चात 07 दिवस के अन्दर जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
8. संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ गैर न्यायिक बंधपत्र (जिसकी राशि मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी) पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
9. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच– नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी।
10. अनुबंध उपरांत संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यकमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा ऐसे कार्यकमों में भाग नही लेना कदाचार माना जायेगा।

12. संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगे।
14. मुख्यालय छोड़नें की स्थिति में संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क / एनएचएम / एच.आर. / स.नि. / सेल–1 / 2022 / 3260 भोपाल, दिनांक– 18 / 05 / 2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक,एनएचएम,म.प्र.।
4. संचालक वित्त एनएचएम मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति नीमच, पन्ना मध्यप्रदेश।
6. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी,एन.एच.एम. म.प्र.
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं , उज्जैन, सागर म.प्र.।
8. उप संचालक, मानव संसाधन / लीगल, / एच.डब्ल्यू.सी., एनएचएम मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच, पन्ना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार के उपस्थिति उपरान्त दस्तावेज मिलान की सुविधा हेतू सेम्स लिमिटेड के ई–मेल के माध्यम से यू.आर.एल. लिंक भेजी जावेगी। यू.आर.एल. के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें सेम्स लिमिटेड पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अपलोड किये दस्तावेज है। इन दस्तावेजों का मिलान संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से करना सुनिश्चित करें एवं मूल दस्तोवजों की प्रमाणिकता भी देखी जावें। यह विशेष उल्लेखनीय है कि यू.आर.एल. केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए है, जिसकी उपयोग की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी साथ ही संविदा जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार की कार्य पर उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
11. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, नीमच, पन्ना मध्यप्रदेश।
12. **Mr. Gautamnath (MD & CEO), Strategic Alliance Management Service Pvt. Ltd, 1/1-B Ground Floor, Chaudhury Hetram House, Bharat Nagar, New Friends Colony, Near Mata Ka Mandir, New Delhi – 110025** की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सेम्स लिमिटेड के पोर्टल पर अपलोड करें एवं संबंधित को तामिल करावे तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच, पन्ना को संबंधित जिला सी.पी.एच.सी. सलाहकार के दस्तावेज मिलान हेतु यू.आर.एल. लिंक भेजे।
13. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश